

न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या:- 12/87/2019

अपीलार्थी:-

दीपेन्द्र आर्य, ग्राम पोस्ट भुनगडा अहीर
तहसील मुण्डावर जिला अलवर।

प्रत्यर्थी:-

लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अति० जिला
कलक्टर (द्वितीय) अलवर

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

—:: निर्णय ::—

दिनांक:- 01.10.2019

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा-6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिनांक 01.08.2019 के माध्यम से संबंध में आवेदन पत्र में वर्णित बिन्दुओं की सूचना चाही गई थी, जो उन्हें उपलब्ध नहीं कराई गई। अतः वांछित सूचनाएं दिलवाई जावे।
2. अपीलार्थी द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावे।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वांछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में लोक सूचना अधिकारी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 01.10.2019 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी उपस्थित नहीं आया। लोक सूचना अधिकारी से जवाब प्राप्त हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी ने पत्रांक 1844 दिनांक 26.09.19 के माध्यम से जबाब नोटिस पेश किया जिसके द्वारा अवगत कराया है कि उक्त प्रा०पत्र० दिनांक 22.08.19 के संबंध में लोक सूचना अधिकारी द्वारा अवगत कराया कि प्रार्थी द्वारा 4 बिन्दुओं पर सूचना चाही गई थी बिन्दु संख्या 2 व 4 अन्य विभागों से प्राप्ति हेतु पत्रांक 1460-62 दिनांक 19.8.19 एवं बिन्दु संख्या 1 के संबंध में पत्रांक 1831-32 दिनांक 26.9.19 के माध्यम से सूचना भिजवाई जा चुकी है। लोक सूचना अधिकारी द्वारा बिन्दु संख्या 3 की सूचना अपीलार्थी को नहीं दी गई है। सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 में व्याप्त निर्देशों की अवेहलना की श्रेणी में आता है। अतः उक्त आलोक में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील स्वीकार की जाकर निस्तारित की जाती है एवं लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है की वो प्रभारी अधिकारी न्याय प्रकोष्ठ कलक्टर अलवर से सूचना प्राप्त कर, यदि चाही गई सूचना देयता की श्रेणी में आती है तो नियमानुसार निःशुल्क अपीलार्थी को उपलब्ध करवावे। अपील अपीलार्थी स्वीकार योग्य है।
5. निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावे।
6. निर्णय आज दिनांक 01.10.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
7. पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।



(इन्द्रजीत सिंह)
जिला कलक्टर अलवर
अलवर (राज०)